

¹[नियम 86क : इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में उपलब्ध रकम के उपयोग की शर्तें

- (1) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो सहायक आयुक्त की श्रेणी से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है, कि इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में उपलब्ध इनपुट कर के प्रत्यय का कपटपूर्वक उपभोग किया गया है या वह अपात्र है, उस सीमा तक जिस तक वह –
- (क) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग,—
- (i) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जिसे अस्तित्वहीन पाया गया है या जो ऐसे किसी स्थान से, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, कोई कारबार नहीं चला रहा है, द्वारा जारी; या
- (ii) माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति के बिना, कर बीजकों या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर किया गया है(या
- (ख) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग, किसी ऐसे प्रदाय के संबंध में जिसकी बाबत प्रभारित कर सरकार को संदत्त नहीं किया गया है; कर बीजकों या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर किया गया है; या
- (ग) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अस्तित्वहीन पाया जाता है या ऐसे किसी स्थान से, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, कोई कारबार नहीं चला रहा है(या
- (घ) इनपुट कर के किसी प्रत्यय का उपभोग करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कब्जे में कर बीजक या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित कोई अन्य दस्तावेज नहीं है,
- लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, धारा 49 के अधीन किसी दायित्व के निर्वहन के लिए या किसी अनुपयोजित रकम के किसी प्रतिदाय के दावे के लिए इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में ऐसे प्रत्यय के समतुल्य किसी रकम का विकलन अनुज्ञात नहीं कर सकेगा।
- (2) आयुक्त या उपनियम (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते के विकलन को अनुज्ञात करने की यथा उपरोक्त शर्तें अस्तित्व में नहीं हैं, ऐसे विकलन को अनुज्ञात कर सकेगा।
- (3) ऐसे निर्बन्धन, उस तारीख से, जिसको ऐसे निर्बन्धन अधिरोपित किए जाएं, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेंगे।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 75/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2019 द्वारा नियम 86क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2019)।